7 सदस्यों पर ही संस्था पंजीकृत की जावेगी।

7. संघ विधान पत्र के अन्त में 2 साक्षियों के हस्ताक्षर करावें। साक्षीगण संस्था के सदस्य नहीं होने चाहिये।

8. अनावश्यक को काट कर लघु हस्ताक्षर करें।

धारा-20

9. संस्थाएं जिनका इस अधिनियम के अधीन पंजीकरण किया जा सकेगा :- पूर्व प्रयोजनों के लिए स्थापित संस्थाएँ, सैनिक, अनाथ निधियां, साहित्य, विज्ञान या ललित कलाओं के उन्नयन के लिये स्थापित संस्थाएँ, सदस्यों के सामान्य उपयोग या जनता के लिये पुस्तकालय या वाचनालय की स्थापना या निर्वहण के लिये या सार्वजनिक अजायबघरों तथा चित्रकारी एवं अन्य कलाकृतियों की दीर्घाओं की स्थापना या निर्वहण के लिये स्थापित संस्थायें, प्राकृतिक इतिहास के संग्रह और यान्त्रिक और दार्शनिक आविष्कारों, उपकरणों या डिजाइनों के लिए स्थापित संस्थायें।

सरस्वती ... राजेन्द्र ... राजेन्द्र

सरस्वती शिक्षण सदन प्रबन्ध समिति/~~सोसाइटी/संस्थान/संस्था~~ उदै. छोटी

संघ विधान-पत्र

1. संस्था का नाम :— इस संस्था का नाम सरस्वती शिक्षण सदन प्रबन्ध समिति/~~सोसाइटी/संस्थान/संस्था~~ है व रहेगा। उदै. छोटी

2. पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र :— इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय गली नं. 7 नजदीक हनुमान मन्दिर, शिवनगर उदै छोटी श्रीगंगानगर है। श्री गंगानगर तहसील क्षेत्र क्षेत्र तक सीमित होगा।

3. संस्था के उद्देश्य :— इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य है :—

1. (1) दलित एवं पिछड़े लोगों के निःशुल्क शिक्षा (स्त्री शिक्षा) नागरिकों को उपलब्ध करवाना।
2. (2) समाज में फैली कुरीतियों (स्त्री शिक्षा, दहेज प्रथा)
3. नाटकों द्वारा मिटाना
4. (3) ग्रामीण [illegible] वर्ग की शिक्षा (साक्षर)
5.
6. (4) देश के स्वतंत्रता सेनानियों का राष्ट्रीय योगदान के महत्व को बतला देना।
7. (5) देश के लिये कर्तव्यपरायण, देश भक्ति भावना,
8. से ओत-प्रोत नागरिक तैयार करना। जो शिक्षित करना

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

राजेन्द्र

सरस्वती ... राजेन्द्र

4. संस्थान का कार्यभार संस्था के नियमानुसार एक कार्यकारिणी समिति को सौंपा गया है, जिसके प्रथम वर्तमान पदाधिकारी निम्नलिखित हैं :—

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
1.	श्री राजेन्द्र कुमार S/o मनफूल राम	(कृषि)	V.P.O. रवाल [illegible] श्रीगंगानगर	अध्यक्ष
2.	श्री इन्द्राज S/o काशीराम	व्यवसाय	पु. अ. वार्ड नं. 5 गली नं. 2 श्रीगंगानगर	उपाध्यक्ष
3.	श्री राजेन्द्र कुमार S/o मनीराम	समाजसेवा	गली नं. 7 उई धोरी शिवनगर श्रीगंगानगर	मन्त्री (~~[illegible]~~)
4.	श्रीमति सरस्वती W/o राजेन्द्र कुमार	समाजसेवा	गली नं. 7 उई धोरी शिवनगर श्रीगंगानगर	कोषाध्यक्ष
5.	श्रीमति शीला W/o बृजलाल	समाजसेवा	पु. अ. शनिमन्दिर गली श्रीगंगानगर	सदस्य
6.	श्री बुधराम S/o रत्तीराम	प्रा. नौकरी	पु. अ. शान्तिनगर श्रीगंगानगर	"
7.	श्री मॉंगीलाल S/o सुरजाराम	प्रा. नौकरी	पु. अ. वार्ड नं. 11 N.A. गली नं. 2 उई धोरी	"
8.	श्री साहबराम S/o [illegible]	प्रा. नौकरी	उई धोरी गली नं. 7 श्रीगंगानगर	"
9.	श्री जुगल किशोर S/o [illegible]	प्रा. नौकरी	III ब्लाक रा. चि. पु. अ. श्रीगंगानगर	"
10.	श्री सुभाष कुमार S/o बृजलाल	प्रा. नौकरी	पु. अ. वार्ड नं. 11 नजदीक शनिमन्दिर श्रीगंगानगर	"
11.	श्रीमति नीलम कंवर W/o राजेन्द्रसिंह	समाजसेवा	पु. अ. वार्ड नं. 6 राउउमावि नं. 6 श्रीगंगानगर	"
12.	श्री जगदीशराम S/o रत्तीराम	प्रा. नौकरी	गली नं. 7 उई धोरी श्रीगंगानगर	"

सरस्वती (कोषाध्यक्ष) राजेन्द्र (अध्यक्ष) राजेन्द्र कुमार (~~[illegible]~~)

5. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता, जिनके नाम, व्यवसाय व पूर्ण पते निम्न प्रकार हैं, इस संघ विधान पत्र के अन्तर्गत इस संस्थान के रूप में गठित होने व इसे पंजीकृत करवाने के इच्छुक हैं :—

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
1.	श्रीमति शीला W/o बृजलाल	समाजसेवा	पु. अ. शनिमन्दिर गली श्रीगंगानगर	शीला देवी
2.	श्री बुधराम S/o रत्तीराम	प्रा. नौकरी	पु. अ. शान्तिनगर श्रीगंगानगर	बुधराम
3.	श्री मॉंगीलाल S/o सुरजाराम	प्रा. नौकरी	पु. अ. वार्ड नं. 11 [illegible] श्रीगंगानगर	मॉंगीलाल
4.	श्री साहबराम S/o भागीरथराम	प्रा. नौकरी	उई धोरी गली नं. 7 नजदीक हनुमान मन्दिर श्रीगंगानगर	साहबराम
5.	श्री जुगल किशोर S/o [illegible]	प्रा. नौकरी	III ब्लाक नजदीक रा. चि. पु. अ. श्रीगंगानगर	Jugal
6.	श्रीमति नीलम कंवर W/o राजेन्द्रसिंह	समाजसेवा	पु. अ. वार्ड नं. 6 नजदीक राउउमावि नं. 6 श्रीगंगानगर	नीलम
7.	श्री सुभाष कुमार S/o बृजलाल	प्रा. नौकरी	पु. अ. वार्ड नं. 11 नजदीक शनिमन्दिर श्रीगंगानगर	सुभाष
8.	श्री जगदीशराम S/o रत्तीराम	प्रा. नौकरी	गली नं. 7 उई धोरी शिवनगर श्रीगंगानगर	जगदीश
9.	श्री राजेन्द्र कुमार S/o मनफूलराम	कृषि	V.P.O. रवाल [illegible] श्रीगंगानगर	राजेन्द्र
10.	श्री इन्द्राज S/o काशीराम	व्यवसाय	पु. अ. वार्ड नं. 11 गली नं. 2 श्रीगंगानगर	इन्द्राज
11.	श्रीमति सरस्वती W/o राजेन्द्र कुमार	समाजसेवा	गली नं. 7 उई धोरी शिवनगर श्रीगंगानगर	सरस्वती
12.	श्री राजेन्द्र कुमार S/o मनीराम	समाजसेवा	गली नं. 7 उई धोरी शिवनगर श्रीगंगानगर	राजेन्द्र कुमार

सरस्वती (कोषाध्यक्ष) राजेन्द्र (अध्यक्ष) राजेन्द्र कुमार (~~[illegible]~~)

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				

1-संस्था का पंजीयन क्रमांक 71/श्री गंगानगर/89-2000/
2-संस्था का नाम सरस्वती शिक्षा सदन प्रबन्ध समिति उदईपुरोटी
3-किस्म दस्तावेज संघ विधान
4-दस्तावेजो की संख्या चार
5-दिनांक पंजीयन 26-2-2000
6-हस्ताक्षर रजिस्ट्रार

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ताओं को हम जानते हैं व उन्होंने हमारे समक्ष अपने-अपने हस्ताक्षर किये हैं। हम यह भी घोषित करते हैं कि हम संस्था के सदस्य नहीं हैं।

6/3/2000

1. हस्ताक्षर सतपाल
नाम सतपाल विश्नोई
व्यवसाय प्रा० नौकरी
पूर्ण पता गली नं. 5 उदईपुरोटी (शिवनगर) श्रीगंगानगर (राज.)

2. हस्ताक्षर सुरजाराम
नाम सुरजा राम गोदारा
व्यवसाय —
पूर्ण पता 115 ए आदर्श नगर श्रीगंगानगर (राज.)

नाम संस्था सरस्वती शिक्षा सदन प्रबंध समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था उदईपुरोटी

विधान (नियमावली)

1. संस्था का नाम :— इस संस्था का नाम सरस्वती शिक्षा सदन प्रबन्ध समिति/~~सोसाइटी/संस्थान/~~संस्था है व रहेगा। उदईपुरोटी

2. पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र :— इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय गली नं. 7 उदईपुरोटी नजदीक हनुमान मन्दिर, शिवनगर श्रीगंगानगर है। तथा इसका कार्यक्षेत्र श्रीगंगानगर तहसील क्षेत्र क्षेत्र तक सीमित होगा।

3. संस्था के उद्देश्य :— इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य है :—

1. दलित एवं पिछड़े वर्गों के लिये निशुल्क शिक्षा एवं शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाना।
2. समाज में फैली कुरीतियां (दहेज प्रथा) को
3. शिक्षा द्वारा मिटाना।
4. समाज में शोषित वर्ग को शिक्षा (साक्षर)
5. देना।
6. देश के नौजवानों को राष्ट्रीय योगदान में महत्व को करवा देना।
7. देश के लिये कर्तव्य परायण, देश भक्ति भावना से ओत प्रोत नागरिक तैयार करना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

4. सदस्यता :—

निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे :—

1-संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते हों।

2-बालिग हो।

3-पागल, दीवालिये न हों।

4-संस्था के उद्देश्यों में रुचि व आस्था रखते हों।

5-संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हों।

5. सदस्यों का वर्गीकरण :—

संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे :—

1-संरक्षक

2-विशिष्ट

3-सम्माननीय

4-साधारण

(जो लागू न हो, उसे काट दीजिये)

6. सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चन्दा :—

उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा :—

1-संरक्षक	राशि 5000/-	वार्षिक/आजीवन
2-विशिष्ठ	राशि 2500/-	वार्षिक/आजीवन
3-सम्माननीय	राशि 1000/-	वार्षिक
4-साधारण	राशि 500/-	वार्षिक

उक्त राशि एक मुश्त अथवा रु. एक मुश्त वार्षिक मासिक की दर से जमा कराई जा सकेगी।

7. सदस्यता से निष्कासन :—

संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा :-

1-मृत्यु होने पर

2-त्याग-पत्र देने पर

3-संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर

4-प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर।

उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर-अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैध समझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अन्तिम होगा।

8. साधारण सभा :—

संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे।

9. साधारण सभा के अधिकार और कर्त्तव्य :—

साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्त्तव्य होंगे :—

1-कार्यकारिणी का चुनाव करना।

2-वार्षिक बजट पारित करना।

3-कार्यकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना पुष्टि करना।

4-संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्धन करना।
(जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाइल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागू होगा)

10. साधारण सभा की बैठकें :—

1-साधारण सभा की एक वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।

2-साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/5 होगा।

3-बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी।

4-कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी। पुनः 7 दिन पश्चात निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वे ही होंगे जो पूर्व एजेन्डा में थे।

5-संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हों, के लिखित आवेदन करने पर मंत्री/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर-अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होंगे।

11. कार्यकारिणी का गठन :—

संस्था के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए एक कार्यकारिणी का गठन किया जायेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे :—

1. अध्यक्ष-एक   2. उपाध्यक्ष-एक
3. मन्त्री-एक ([struck through])   4. कोषाध्यक्ष-एक
5. सदस्य-~~सात~~ 8

(उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पद या पदनाम परिवर्तन किये जावें, तो यहां अंकित करें। कम रखना चाहें तो कम रख लें।)

इस प्रकार कार्यकारिणी में पदाधिकारी व सदस्य कुल सदस्य 12 होंगे।

12. कार्यकारिणी का निर्वाचन :—

1-संस्था की कार्यकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जावेगा।

2-चुनाव प्रत्यक्ष/~~अप्रत्यक्ष~~ प्रणाली द्वारा किया जावेगा।

3-चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कार्यकारिणी द्वारा की जावेगी।

13. कार्यकारिणी के अधिकार और कर्त्तव्य :—

संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकारी व कर्त्तव्य होंगे :—

1-सदस्य बनाना/निष्कासित करना।

2-वार्षिक बजट तैयार करना।

3-संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना।

4-वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना व सेवा मुक्त करना।

5-साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना।

6-कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना।

7-अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हों, करना।

14. कार्यकारिणी की बैठकें :—

1-कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठक अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।

2-बैठकों का कोरम कार्यकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।

3-बैठकों की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है।

4-कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे, जो पूर्व एजेण्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त कार्यकारिणी के कम से कम दो

पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में कराना आवश्यक होगा।

15. कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्त्तव्य :—

संस्था की कार्यकारिणी के अधिकार व कर्त्तव्य निम्न प्रकार होंगे :—

1-अध्यक्ष :

1-बैठकों की अध्यक्षता करना।

2-मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।

3-बैठकें आहूत करना।

4-संस्था का प्रतिनिधित्व करना।

5-संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

2-उपाध्यक्ष :

1-अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।

2-कार्यकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।

3-मन्त्री :

1-बैठकें आहूत करना।

2-कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना।

3-आय-व्यय पर नियन्त्रण करना।

4-वैतनिक कर्मचारियों पर नियन्त्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना।

5-संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।

6-पत्र व्यवहार करना।

7-सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हों।

4-उपमंत्री :

1-मन्त्री की अनुपस्थिति में मन्त्री पद के समस्त कार्य संचालन करना।

2-अन्य कार्य जो कार्यकारिणी/मंत्री द्वारा सौंपे जावें।

5-कोषाध्यक्ष :

1-वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करना।

2-दैनिक लेखों पर नियन्त्रण रखना।

3-चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।

4-अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।

16. संस्था का कोष :— **संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :—**

1-चन्दा

2-शुल्क

3-अनुदान 6- शुल्क सहित छात्रावास

4-सहायता 7- बैंक ऋण द्वारा

5-राजकीय अनुदान

1-उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित की जायेगी।

2-अध्यक्ष/मन्त्री/कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक से लेन-देन संभव होगा।

17. कोष सम्बन्धी विशेषाधिकार :— संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगे :-

1-अध्यक्ष......2100.......... रु.

2-मन्त्री......1100.......... रु.

3-कोषाध्यक्ष......500.......... रु.

उपरोक्त राशि का अनुमोदन कार्यकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा। अंकेक्षक की नियुक्ति कार्यकारिणी द्वारा की जायेगी।

18. संस्था का अंकेक्षण :— संस्था के समस्त लेखों जोखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जावेगा।

19. संस्था के विधान में परिवर्तन :— संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।

20. संस्था का विघटन :— यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ, तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित कर दी जावेगी लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी।

21. संस्था के लेखे जोखे का निरीक्षण :— रजिस्ट्रार संस्थाएं ......श्रीगंगानगर...... को संस्था के रेकार्ड का निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली) ......सरस्वती शिक्षण सदन प्रबंध...... समिति/सोसायटी/संस्थान/संस्था की सही व सच्ची प्रतिलिपि है।

1-संस्था का पंजीयन क्रमांक ......71/श्रीगंगानगर/99-2000/
2-संस्था का नाम ......सरस्वती शिक्षण सदन प्रबन्ध समिति, उड़सर
3-किश्त दस्तावेज ......विधान पत्र
4-दस्तावेजों की संख्या 14
5-दिनांक पंजीयन 26-2-2000
6-हस्ताक्षर रजिस्ट्रार ......

अध्यक्ष	मन्त्री (~~सचिव~~)	कोषाध्यक्ष

प्रमाणित किया ... सत्य प्रति है
हस्ताक्षर ...
1/3/2000
6/3/2000
6/3/2000
रजिस्ट्रार संस्थाएं